राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
जालाराम वगैरह बनाम् हीराराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 220/2021

वादीगण—

1. जालाराम पुत्र हीराराम
2. धन्नाराम पुत्र हीराराम
3. रामनिवास पुत्र हीराराम

जातियान— जाट निवासीगण— राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. हीराराम पुत्र चुनाराम
2. मुन्नी देवी पुत्री हीराराम

जातियान— जाट निवासीगण—राजोद , तहसील जायल (नागौर)

3. तहसीलदार, जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :—

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा राजोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 697 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर, खसरा नंबर 789 रकबा 1.4488 हैक्टेयर, खसरा नंबर 794 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1372/697 रकबा 0. 0405 हैक्टैयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ड़) के अनुसार कर सिंव—नींव

14/10/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 जालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.4930 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.5009 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 3 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 697 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा, तथा खसरा नंबर 1372/697 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता पुरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 789 रकबा 1.4488 हेक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 794 रकबा 0.4613 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुतदाविया भूमि में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 14.10.2021 को कैम्प कोर्ट राजोद में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का स्वयं से उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संवंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामनिवास पुत्र हीराराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम राजोद तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 551 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा राजोद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 697, 1372/697,789,794 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 755, 825 माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है लेकिन राजीनाम एवं माफिक नजरीनक्शा सलंग्न कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के मध्य बंट चाहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिये मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 697, 1372/697,789,794 , 755, 825 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 697, 1372/697,789,794 , 755, 825 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा नजरीनक्शा जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.4930 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.5009 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 697 रकबा 1. 2950 हैक्टेयर पूरा, तथा खसरा नंबर 1372/697 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता पुरा रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 789 रकबा 1.4488 हेक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 794 रकबा 0.4613 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुतदाविया भूमि में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
जालाराम वगैरह बनाम् हीराराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 220/2021

वादीगण–

1. जालाराम पुत्र हीराराम
2. धन्नाराम पुत्र हीराराम
3. रामनिवास पुत्र हीराराम

जातियान– जाट निवासीगण– राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हीराराम पुत्र चुनाराम
2. मुन्नी देवी पुत्री हीराराम

जातियान– जाट निवासीगण–राजोद , तहसील जायल (नागौर)

3. तहसीलदार, जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 697, 1372/697,789,794 , 755, 825 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को माफिक राजीनामा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा नजरीनक्शा जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.4930 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी संख्या 2 धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 2.5009 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 6.6126 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 755 रकबा 4.4839 हैक्टेयर मे से 1.4946 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 697 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा, तथा खसरा नंबर 1372/697 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता पुरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 789 रकबा 1.4488 हेक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 794 रकबा 0.4613 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुतदाविया भूमि में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner